अति तत्काल

आरएलबी निर्गम सं. 11/2021 - 22

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 27-08-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित **ग्रामीण स्थानीय निकाय आबद्ध अनुदान** जारी करने के बारे में

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) हेतु **आबद्ध अनुदान** की पहली किस्त रु. 1302060.00 लाख (तेरह हजार - पच्चीस करोड़ और साठ लाख रुपये मात्र) 2020-21 के दौरान अनुलग्नक-I (पृष्ठ-3) में दिए गए राज्य-वार विवरणों के अनुसार जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है:

2. राज्य सरकार (रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि जारी की गई राशि 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

5. राज्यों (राज्य वित्त विभाग) को संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के उपर्युक्त पैरा 3 एवं 4 में दी गई कार्यविधि के अनुसार हस्तांतरित करने होंगे।

जारी....2/-

6. दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

7. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आरएलबी **आबद्ध अनुदान** का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं (क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचर्क्रण के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों की आधी मात्रा की राशि को इन प्रत्येक दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यथासंभवत: अलग से निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, जो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेंणी के लिए कर सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान व्यय विभाग द्वारा दिनांक 14/07/2021 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/ 2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों और अध्याय-7 'स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण' में उल्लिखित अनुशंसाओं के अनुसार शासित किया जाएगा।

9. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रों) के खातों में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

10. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों के रूप में फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31, स्कीम कोड 2084 के तहत वर्ष 2021-2022 के लिए मांग सं. 40 - राज्य सरकार (रों) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

11. इस पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में इस प्रभाग को सूचित किया जाए।

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, खंड सी, 4वां तल, पं. दीनदायल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

पृष्ठ 3 पर जारी.

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि (रु. लाख में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	58170.00	*आरएलबी* आबद्ध *अनुदान*	पहली	2021-22
2.	अरुणाचल प्रदेश	5100.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
3.	बिहार	111270.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
4.	छत्तीसगढ	32250.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
5.	गुजरात	70860.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
6.	हरियाणा	28050.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
7.	हिमाचल प्रदेश	9510.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
8.	झारखंड	37470.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
9.	कर्नाटक	71310.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
10.	केरल	36090.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
11.	मध्य प्रदेश	88320.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
12.	महाराष्ट्र	129210.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
13.	मणिपुर	3930.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
14.	मिजोरम	2070.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
15.	ओडिशा	50070.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
16.	पंजाब	30780.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
17.	राजस्थान	85620.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
18.	तमिलनाडु	79980.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
19.	तेलंगाना	40950.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
20.	त्रिपुरा	4230.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
21.	उत्तर प्रदेश	216240.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
22.	उत्तराखंड	12750.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
23.	पश्चिम बंगाल	97830.00	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
	कुल	**1302060.00**	**x**	**x**	**x**

****

अति तत्काल
आरएलबी निर्गम सं. 12/2021 - 22

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 27-08-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित **ग्रामीण स्थानीय निकाय आबद्ध अनुदान** जारी करने के बारे में

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) **आबद्ध अनुदान** की पहली किस्त अंकन रु. **930.00** लाख (दस नौ करोड़ तीस लाख रुपये मात्र) 2020-21 के दौरान सरकार (रों) को अनुलग्नक-I (पृष्ठ-3) में दिए गए विवरणों के अनुसार जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. राज्य सरकार(रों) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि जारी की गई राशि 2011 की जनगणना को 90 प्रतिशत के भारांक तथा क्षेत्र को 10 प्रतिशत के भारांक के साथ राज्य के भीतर सामान्य क्षेत्रों एवं अपवर्जित क्षेत्रों, यदि कोई हो (जहाँ संविधान का भाग IX एवं IXA लागू नहीं है) को आवंटित करें।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **अपवर्जित क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदानों को राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

5. राज्यों (राज्य वित्त विभाग) को संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के उपर्युक्त पैरा 3 एवं 4 में दी गई कार्यविधि के अनुसार हस्तांतरित करने होंगे।

पृष्ठ-2 पर जारी.

6. दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

7. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उपरोक्त **आबद्ध अनुदान** का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं (क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचर्क्रण के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों की आधी मात्रा की राशि को इन प्रत्येक दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यथासंभवत: अलग से निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, जो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेंणी के लिए कर सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान व्यय विभाग द्वारा दिनांक 14/07/2021 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/ एफसीडी/ 2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों और अध्याय-7 'स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण' में उल्लिखित अनुशंसाओं के अनुसार शासित किया जाएगा।

9. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार (रों) के खातों में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

10. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों के रूप में फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31, स्कीम कोड 2084 के तहत वर्ष 2021-2022 के लिए मांग सं. 40 - राज्य सरकार (रों) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

11. इस पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में इस प्रभाग को सूचित किया जाए।

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, खंड सी, 4वां तल, पं. दीनदायल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

पृष्ठ 3 पर जारी.

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**राशि (रु. लाख में)**	**अनुदान घटक**	**किस्त**	**वर्ष**
1	सिक्किम	930.00	*आरएलबी* आबद्ध *अनुदान*	पहली	2020-21
x	**कुल**	**930.00**	**x**	**x**	**x**

****

अति तत्काल
आरएलबी निर्गम सं. 13/2021 - 22

राज्य सरकारों के खातों में क्रेडिट की जाने वाली राशि

फा. 15(4) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक सं. XI, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 27-08-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य - ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001.

विषय: पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुसंशित **ग्रामीण स्थानीय निकाय आबद्ध अनुदान** जारी करने के बारे में

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) **आबद्ध अनुदान** की पहली किस्त **रु. 35580.00** लाख (तीन सौ पछपन करोड़ अस्सी लाख रुपये मात्र) 2020-21 के दौरान अनुलग्नक-I (पृष्ठ-3) में दिए गए विवरणों के अनुसार जारी करने के लिए भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है:

2. अनुदानों को राज्य सरकार के दिनांक 17 जून, 2021 के पत्र सं. एफईए9एसएफसी/43/2020/पार्ट.-I के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अपवर्जित क्षेत्रों एवं सामान्य क्षेत्रों के लिए विभाजित किया गया है।

3. अनुलग्नक-I (पृष्ठ-3) के अनुसार अपवर्जित क्षेत्रों के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज/ एडीसी/ वीसीबी मामलों को देख रहे संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ ग्राम परिषद निकायों (वीसीबी)/ ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को सीधे हस्तांतरित करने होंगे।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए विभाजित अनुदानों का वितरण हालिया राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दी गई पारस्परिक (इंटर से) हिस्सेदारी के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर के भीतर करना होगा। तथापि, यदि वितरण के लिए एसएफसी की सिफारिश उपलब्ध नहीं है, तो आवंटन जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात के आधार पर किए जाने चाहिए।

5. राज्यों (राज्य वित्त विभाग) को संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर बिना कोई कटौती के उपर्युक्त पैरा 3 एवं 4 में दी गई कार्यविधि के अनुसार हस्तांतरित करने होंगे।

पृष्ठ-2 पर जारी.

6. दस कामकाजी दिनों से परे कोई भी विलंब पर राज्य सरकार को अनुदान पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एलडीएल) पर ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ देने होंगे।

7. पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आरएलबी **आबद्ध अनुदान** का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाओं (क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचर्क्रण के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय इन आबद्ध अनुदानों की आधी मात्रा की राशि को इन प्रत्येक दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यथासंभवत: अलग से निमित्त करेंगे। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, जो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेंणी के लिए कर सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान व्यय विभाग द्वारा दिनांक 14/07/2021 के का.ज्ञा. सं. फा. 15(2) एफसी-एक्सवी/एफसीडी/ 2020-25 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों और अध्याय-7 'स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण' में उल्लिखित अनुशंसाओं के अनुसार शासित किया जाएगा।

9. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को **असम राज्य सरकार** के खातों में क्रेडिट करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को सलाह दें।

10. भुगतान वित्त मंत्रालय के लेखाओं स्थानीय निकाय (3.01 ग्रामीण निकाय) के लिए अनुदानों के रूप में फंक्शन हेड 3601071020100, ऑब्जेक्ट हेड 31, स्कीम कोड 2084 के तहत वर्ष 2021-2022 के लिए मांग सं. 40 - राज्य सरकार (रों) को हस्तांतरण - में समायोजनीय हैं।

11. इस पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में इस प्रभाग को सूचित किया जाए।

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:

क्र. सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, खंड सी, 4वां तल, पं. दीनदायल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महा लेखाकार (ए एवं ई), संबंधित राज्य सरकार (रें)
8.	महा लेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार (रें)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार (रें)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार (रें)

(अभय कुमार)
निदेशक (एफसीडी)

पृष्ठ 3 पर जारी.

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	*आरएलबी* आबद्ध *अनुदान* किस्त सं./वर्ष	स्वीकृत *आएलबी* आबद्ध *अनुदान* क्षेत्र-वार	अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	**असम**	**2021-22 की पहली किस्त**	**(i) कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद**	1514.00
			(ii) डिमा हासाओ स्वायत्त जिला परिषद	444.00
			(iii) बोडो लैंड प्रांतीय परिषद	3962.00
			सामान्य क्षेत्र	29660.00
x	**कुल**	**x**	**x**	**35580.00**

****